

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, बल्लभ-मवन, भोपाल

:: अधिसूचना ::

भोपाल दिनांक 10-अप्रैल, 2020

कमांक एफ-10-2/2020/17/मेडि-2/601 :: भारत के विभिन्न भागों में नोवल कोरोना (COVID-19) के संक्रमण से जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश में संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना दिनांक 08 मार्च, 2020 द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हैल्थ एक्ट, 1949 की धारा 50 के अन्तर्गत नोवल कोरोना (COVID-19) को संक्रामक रोग तथा धारा 51 के अन्तर्गत अधिसूचित संक्रामक रोग संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए घोषित किया गया है। मध्यप्रदेश पब्लिक हैल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (2) में प्रावधानित समस्त अधिकार समस्त जिला मजिस्ट्रेड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को अधिसूचना दिनांक 23-मार्च, 2020 द्वारा प्रदत्त की गई है। इसके अतिरिक्त धारा 3 की उप धारा (9) के अन्तर्गत समस्त जिला मजिस्ट्रेड एक्जीक्यूटिव अथारिटी अधिसूचित किये गये हैं।

इस तारतम्य में मध्यप्रदेश पब्लिक हैल्थ एक्ट, 1949 की धारा 71 (2) में प्रावधानित समस्त अधिकार उपरोक्त अधिकारियों के साथ राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं को प्रदत्त किये जाते हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,


10/04/20
(राजीव चन्द्र दुबे)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग


GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH & FAMILY WELFARE
VALLABH BHAWAN, BHOPAL
NOTIFICATION

Bhopal Dated 10 April, 2020

No. F-10-2/2020/17/Medi-2/601 :: In exercise of the powers conferred under Section 2,3 & 4 of The Epidemic Diseases Act, 1897, the Governor of Madhya Pradesh issued "The Madhya Pradesh Epidemic Diseases, COVID-19 Regulation 2020", Dated 23th March 2020 .

Definition of Authorised persons as published in the said Regulation is Hereby amended to include inter alia, the Dean of Government Medical Collage which are for the time being in force operational in the state under relevant laws.

By Order and in the name of
Governor of Madhya Pradesh



10/04/20

(Rajeev Chandra Dubey)

Secretary

Government of Madhya Pradesh
Department of Public Health & Family Welfare